भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1656

27 जुलाई, 2022 को उत्तर के लिए

इस्पात का निर्यात

1656. श्री नरेन्द्र कुमार:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा इस्पात के निर्यात को बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) क्या सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)

(क) से (ग): सरकार ने इस्पात क्षेत्र में निवेश और निर्यात को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

i. निम्नलिखित नीतियों को अधिसूचित करना:

   क. राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ रणनीतिक अनुप्रयोगों के लिए इस्पात और हाई-ग्रेड ऑटोमोटिव स्टील, विद्युत् इस्पात, विशेष इस्पात एवं मिश्र-धातु की समग्र मांग को घरेलू स्तर पर पूरा करने की परिकल्पना की गई है।

   ख. मेड इन इंडिया इस्पात की अधिप्राप्ति को बढ़ावा देने हेतु घरेलू रूप से विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआई एंड एसपी) नीति।

ii. देश में इस्पात के उपयोग, समग्र माँग और इस्पात क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए रेलवे, रक्षा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, आवासन, नागर विमानन, सड़क परिवहन और राजमार्ग, कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्रों सहित क्षमतावान प्रयोक्ताओं के साथ और अधिक सहभागिता से 'मेक इन इंडिया' पहल और पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान।

iii. भारतीय इस्पात क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए कतिपय इस्पात उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क (एडीडी) प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) जैसे व्यापार संबंधी उपचारात्मक उपायों के

अंशशोधन (कैलिब्रेशन) के साथ इस्पात उत्पादों एवं कच्चे माल पर मूल सीमा शुल्क में समायोजन।

iv. भारत में इस्पात क्षेत्र की सुविज्ञता को उजागर करने और भारतीय इस्पात क्षेत्र में बहुविध अवसरों एवं व्यापारिक संभावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए, हाल ही में दुबई में आयोजित, वर्ल्ड एक्स्पो जैसे कार्यक्रमों में सहभागिता।

****